महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के उल्लंघन पर धारा 25 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपण सम्बन्धी निर्देश

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम–राजस्थान)

क्रमांक:एफ.1(14)आरडी/नरेगा/वेज/2010/ जयपुर, दिनांक

: : **परिपत्र** : : 30 NOV 2010

महात्मा गांधी नरेगा का क्रियान्वयन सभी स्तरों पर न केवल संवेदनशीलता से किया जाना आवश्यक है बल्कि इसके क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखना एवं विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही का निर्धारण करना भी नितान्त आवश्यक है जिससे कि योजना का पूर्ण लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से निम्न दिशा–निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है:–

(क) **समूहवार कार्य की माप सुनिश्चित करना** एवं विभिन्न स्तरों पर मस्टररोल से संबंधित प्रक्रिया में लगने वाले समय की मॉनिटरिंग एवं ट्रेकिंग के लिये विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2010 को निर्देश दिये गये।

(ख) दिनांक 09.06.2010 को **मस्टर रोल जारी करने से भुगतान तक की प्रक्रिया मॉनिटरिंग** किये जाने एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित किये जाने संबंधित निर्देश।

(ग) दिनांक 18.06.2010 को **पोस्ट ऑफिस के माध्यम से श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान** किये जाने संबंधित निर्देश।

(घ) **सहकारी बैंकों के माध्यम से श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान संबंधित** निर्देश दिनांक 19 जुलाई, 2010 एवं 26 नवम्बर, 2010।

(ड) **कम मजदूरी दर संबंधित शिकायतों** को कार्य के दौरान ही जांच करने एवं ऐसे प्रकरणों के संबंध में तत्काल कार्यवाही किये जाने के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 31.08.2010।

(च) दिनांक 29.12.2009 को **निर्धारित मापदण्डानुसार विभिन्न स्तरों पर नरेगा** के कार्यों का **निरीक्षण** के संबंध में जारी निर्देश।

(छ) दिनांक 10.06.2010 को **ई–मस्टर रोल के क्रियान्वयन** के संबंध में जारी निर्देश।

(ज) दिनांक 8.2.2010 को **पंचायत द्वारा सामग्री क्रय** (नरेगा स्थाई समिति) के संबंध में जारी निर्देश।

(झ) दिनांक 13.09.2010 को **वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2011–12** संबंधी निर्देश।

(ञ) **एम. आई.एस को ऑन लाईन** किये जाने के संबंध में जारी निर्देश।

(ट) इसके अलावा नरेगा के क्रियान्वयन से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 जारी की गई है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन से जुडे महत्वपूर्ण निर्देश उल्लेखित हैं।

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के उल्लंघन पर धारा 25 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपण सम्बन्धी निर्देश

उक्त निर्देश उदाहरण स्वरूप उल्लेखित किये गये हैं। इस प्रकार के विभिन्न निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों में से प्रमुख रूप से अधिनियम की धारा 3,6,7,8 के साथ साथ धारा 13 से 17, 23 एवं अधिनियम की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा नरेगा के विभिन्न प्रावधानों को लागू किये जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई है एवं यह भी अपेक्षा की गई है कि नरेगा योजना के कियान्वयन में श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम किन निर्देशों का ध्यान रखा जाना है तथा श्रमिकों के न्यूनतम अधिकार क्या हैं।

इसी अधिनियम की धारा 14 (3) के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को योजना की कियान्विति से संबंधित सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है एवं अधिनियम की धारा 23 (6) द्वारा कार्यक्रम अधिकारी से 7 दिवस के अन्दर विवादों तथा शिकायतों के निपटारें की अपेक्षा की गई है। इसी प्रकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पैरा 36 (ख) अनुसार नरेगा के कियान्वयन से संबंधित जांच के प्रकरणों में कार्यस्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण एवं निपटारा 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 19 के तहत अभाव अभियोग निराकरण नियम, 2010 का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 04.08.2010 को कर दिया है, जिसके द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा नरेगा योजनान्तर्गत शिकायतों के स्वतन्त्र रूप से निपटारें के लिये राज्य के 7 जिलों यथा अजमेर, भीलवाडा, जयपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर में दिनांक 04.10.2010 को लोकपाल की नियुक्ति उपरान्त उनके द्वारा कार्य भी ग्रहण कर लिया है। अधिनियम की धारा 17 एवं अनुसूची के बिन्दु संख्या 13 (ख) के प्रावधानानुसार सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही भी 26 अगस्त, 2010 से 16 सितम्बर, 2010 तक सभी ग्राम पंचायतों में कराये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके तहत 6987 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कराया गया है।

उपरोक्तानुसार नरेगा योजना के कियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। चूंकि योजना के कियान्वयन के लिये अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक को ही जिम्मेदार माना गया है अतः राज्य सरकार द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को योजना से जुडे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शक्तियां प्रदान की गई है। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2010 द्वारा नरेगा योजना में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां जिला कलक्टर्स को दी गई है। इस आदेश के अलावा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को संशोधित करते हुये नई धारा 91 (क) जोडी गई है जिसके तहत जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं कार्यक्रम अधिकारी को महात्मा गांधी नरेगा से जुडे विभिन्न स्तर के कार्मिकों के विरूद्ध खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की गई है जिसके तहत दोषी पाये जाने पर

आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सी.सी.ए. नियमों के नियम 16/17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपका ध्यान अधिनियम की धारा 25 की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि **"जो कोई अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दोष सिद्धि पर जुर्माने का, जो 1000/– रूपये तक का हो सकेगा दायी होगा।"** अधिनियम की उक्त धारा को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पैरा 36 (च) के साथ पढा जाना आवश्यक है, जिसके तहत **"राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्व–प्रेरणा से या प्रति–निर्देश किसी भी शिकायत की जांच कर सकेगा और दोषी होने पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा।"**

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लघन के प्रकरणों में और विशेषकर श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियों से संबंधित प्रकरणों में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करें जिससे कि श्रमिकों को अत्यधिक न्यून श्रम के भुगतान के प्रकरणों पर प्रभावी रूप से अंकुश लग सके एवं साथ ही उन्हें अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार दैनिक मजदूरी अधिकतम 15 दिवस के अन्दर उनके खातों में प्राप्त हो सके।

प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री जी राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री।
4. विशिष्ठ सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास।
9. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त)।
11. जिला प्रमुख, जिला परिषद, समस्त।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
15. समस्त अधिकारीगण, ग्रामीण विकास विभाग।
16. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

30/11/10.
परियोजना निदेशक (ईजीएस)

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के उल्लंघन पर धारा 25 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपण समबन्धी निर्देश